न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 39/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 ईश्वरसिंह पुत्र मोतीसिंह		1 कमला पत्नी हंसाजी जाति त्रिंगर निवासी पाडीव तहसील सिरोही
2 उम्मेदसिंह पुत्र मोतीसिंह		2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही जिला सिरोही
3 लालसिंह पुत्र मोतीसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण रामपुरा तहसील सिरोही		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री प्रकाश प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री महेन्द्रसिंह चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांकः– 29.6.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 112/2016 कमला बनाम ईश्वरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस में कथन किया कि ग्राम पाडीव के खसरा नम्बर 3294 तथा 3298/3322 की भूमि अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है, जो अपीलाण्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार सिरोही के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि को खसरा नम्बर 3291 रकबा 0.52 हैक्टेयर की होना बताते हुए कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुपुर्द कराने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार सिरोही द्वारा नये तथा पुराने

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व रेकर्ड के अनुसार जांच करवाई गई तथा माप एवं सीमांकन करवाया गया। इस सम्बन्ध में भू0अ0निरीक्षक पाडीव द्वारा दिनांक 11.12.2015 को मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि प्रकरण में विवादित खसरा नम्बर 3291 की भूमि की तरमीम पुराने भू प्रबन्ध से स्पष्ट नहीं है तथा भू प्रबन्ध द्वारा पुराने रेकर्ड से नया रेकर्ड तहरीर करते समय मौका स्थिति के विपरित गलत रूप से खसरा नम्बर इन्द्राज कर दिए, जिससे अपीलाण्ट एवं उसके आस पास की भूमियों की तरमीम गलत हो गई। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्ती हेतु लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। इस पर तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रकरण को विशुद्ध रूप से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष अपील दायर करवाई। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज होने का आधार अंकित करते हुए तहसीलदार सिरोही द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार सिरोही को प्रतिप्रेषित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध करवाए तथा जो तथ्य प्रकट किए, उन साक्ष्यों एवं तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रकरण स्पष्ट रूप से रिकार्ड दुरूस्ती का था, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) में कवर नहीं होता, इसके बावजूद मात्र राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज होने का नाजायज लाभ प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सिरोही द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय विधि सम्मत है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि पास पास स्थित है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि पर कब्जा करने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार सिरोही के समक्ष सक्षम कानून के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार सिरोही द्वारा मात्र कयासी आधारों पर खारिज कर दिया, जबकि प्रकरण में सम्पूर्ण मामला रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में था। तहसीलदार सिरोही के समक्ष जो मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त दर्शाया हुआ है, किन्तु तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त तथ्यों को नहीं माना तथा प्रकरण को रेकर्ड दुरूस्ती की संज्ञा प्रदान की। इस दौरान अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही के रेकर्ड दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया, जो विचाराधीन है। तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सिरोही द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के कारण रेस्पोडेट संख्या 1 द्वारा उक्त निर्णय की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिंरोही के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में मानते हुए तहसीलदार सिरोही द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज करावें।

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न दस्तोवजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार सिरोही के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा पाडीव के खसरा नम्बर 3291 रकबा 0.5200 हैक्टेयर की भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा कर कब्जा पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुपुर्द कराने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया। नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट के अनुरोध पर भू0अ0नि0 जावाल के नेतृत्व में टीम का गठन कर सीमांकन के आदेश पारित किए। इसके पश्चात नक्शे आदि प्राप्त होने पर टीम द्वारा सीमांकन किया जाकर रिपोर्ट जरिये पत्रांक/भू0अ0/15/113 दिनांक 16.09.2015 के द्वारा तहसीलदार सिरोही के समक्ष प्रस्तुत की। भू0अ0नि0 ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि खसरा नम्बर 3291 की आंशिक भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा है तथा आंशिक भूमि पर लीज क्षेत्र में जाने का ग्रेवल सड़क बना हुआ है, शेष भूमि पडत पथरीली एवं कातरानुमा है। रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 3294 रकबा 1.62 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 3297/3322 रकबा 2.13 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, किन्तु खसरा नम्बर 3297/3322 का राजस्व नक्शे में इन्द्राज नहीं है। इसके पश्चात तहसीलदार द्वारा पुनः दो बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाहे जाने पर भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि विवादित खसरा नम्बर 3291 रकबा 0.5200 हैक्टेयर में से 0.0750 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा है। पुराने भू–प्रबन्ध में विवादित भूमि की तरमीम स्पष्ट नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त खसरा की भूमि नक्शे अनुसार पूर्व में इसी स्थान पर थी। अपीलाण्ट द्वारा प्रकरण में यह जाहिर किया कि उनके द्वारा राजस्व रेकर्ड में हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी सिरोही के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रकरण दायर करवाया गया है, जो विचाराधीन है। इन समस्त आधारों पर तहसीलदार सिरोही ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें माननीय न्यायालय ने तहसीलदार सिरोही द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रकरण में अन्तर्निहित कानूनी बिन्दु यह प्रकट होता है कि जब भूमि की भौतिक स्थिति ही प्रश्नांकित हो, तो मात्र राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी के आधार पर भूमि पर काबिज व्यक्ति को हटाकर कब्जा खातेदार को दिलवाया जाना न्यायोचित है अथवा नही ? प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हस्तगत प्रकरण में भू0अ0नि0 के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दौराने भू–प्रबन्ध राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन के कारण भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटी होना जाहिर किया। कानूनन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रेकर्ड में की गई गलतीयों का दुरूस्तीकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा सन्दर्भित धारा के तहत दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है, जो विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र जब तक निस्तारित नहीं हो जाता, तब तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है कि जिस भूमि पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है, वह भूमि वास्तविक रूप से खसरा नम्बर 3291 की है अथवा 3297/3322 की। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार सिरोही द्वारा पारित निर्णय विधिक दृष्टिकोण से उचित था, जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 112/2016 कमला बनाम ईश्वरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2016 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही